

भारत सरकार  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
सीज़न विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

फाईल नं. सीज़न-सेज / सुरक्षा/परिपत्र/71/पार्ट VI/2010

661


ता.10.01.2015

परिपत्र सं. 07/15

समय तथा गेटों के उपयोग के संबंध पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को अधिकांत करते हुए, निम्नलिखित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

गेट नं.	समय	प्रयोजन / टिप्पणियां
गेट नं. 1	प्रातः 5.30 बजे से मध्यरात्रि 12.00 बजे तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रवेश / विकास -वैध पास धारियों, दुपहियों तथा चार पहियों वाले वाहनों के लिए</li> <li>2. प्रवेश / विकास ठेकेवाले- बसों के लिए प्रातः 5.30 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक</li> <li>3. सिविल कार्य/लेखन संबंधी सामग्री के लिए प्रातः 11.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक</li> <li>4. कैंटीन संबंधी सामग्री के लिए प्रातः 11.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक</li> <li>5. प्रवेश / विकास - मलबे / सूखे कचरे वाले वाहनों के लिए प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक ( इनके लिए उचित अनुमति जरूरी है )</li> <li>6. निर्यात कार्गो./ डीटीए शुल्क संदन्त स्क्रेप ले जाने के लिए खाली कंटेनरों / खाली ट्रकों तथा टैंपो का प्रवेश</li> <li>7. रात्रि की पारी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 12.00 बजे अर्ध रात्रि के बाद रात्रि पारी की अनुमति होने पर ही अंदर आने तथा बाहर जाने दिया जाएगा।</li> <li>8. जोन के अंदर विकास आयुक्त कॉम्प्लेक्स के बाहर एटीएम के बैंक कैश बैंक को प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक प्रवेश तथा विकास की अनुमति की जाएगी।</li> <li>9. प्रवेश/विकास-संयुक्त विकास आयुक्त की पूर्व अनुमति से सरकारी कर्मचारियों के लिए</li> </ol>
गेट नं. 1 का विस्तार	प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक (रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश अर्थात् गणतंत्र दिवस(26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस(15 अगस्त), गांधी जयंती (2 अक्टूबर ) को बंद रहेगा।)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सभी प्रयोजनों के लिए</li> <li>2. यूनिट नामित एजेन्सियों / बैंको से प्राप्त किए गए सोने अथवा अन्य माल इस गेट से नहीं ले जाएंगे।</li> <li>3. विकास आयुक्त कार्यालय कॉम्प्लेक्स में प्रवेश / विकास केवल विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए वैध गेट पास अर्थात् फोटो पहचान पत्र के आधार पर आंगणुको को प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे ( सोमवार से शनिवार ) तक गेट पास जारी किए जाएंगे।</li> </ol>

<p>भारता गेट ( विकास आयुक्त कार्यालय के सामने स्थित</p>	<p>यह गेट बंद रहेगा।</p> <p>1. इस गेट से नामित एजेन्सियों ( अर्थात् सीप्ले सेज में स्थित बैंको से यूनिट में मूल्यवान सामग्रियों के संचालन की अनुमति दी जाएगी। गेट पर ड्यूटी कर रहे सुरक्षा रक्षक को बीजक ( इनवॉइस ) दिखलाना होगा।</p> <p>2. इस गेट से बीबीजी(सीप्ले सेज के सफाई ठेकेदार ) के गीले तथा सूके अपशिष्टों को ढोनेवाले वाहनों की विकास आयुक्त कॉम्प्लेक्स से आगे के संग्रहण स्थल तक जाने की अनुमति वैध गेट पास / बीबीजी के पहचान पत्र होने पर ही दी जाएगी।</p> <p>3. फायर ब्रिगेड एंबुलेन्स (वाहन) जिन पर विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी की वीआयपी स्टीकर लगा हो तथा विकास आयुक्त कार्यालय / विनिर्दिष्ट अधिकारी के स्टाफ, संपदा प्रबंधक तथा उनके स्टाफ को फोटो पहचान पत्र दिखाने पर।</p>	<p>1. सभी कर्मचारियों का बिना रोकटोक के आवागमन</p>	<p>1. सभी कर्मचारियों का बिना रोकटोक के आवागमन</p>
<p>गेट नं. 1 के बाहरी गेट का पदचारी गेट</p>	<p>प्रतः 8.00 बजे से प्रतः 10.00 बजे तक रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश अर्थात् गणतंत्र दिवस ( 26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), तथा गांधी जयंती ( 2 अक्टूबर) को बंद</p>	<p>1. पैदल आवागमन पूर्णतः निषिद्ध</p> <p>2. सीमाशुल्क संबंधी सामग्री अर्थात् निर्यात, आयात, शुल्क संदत्त रही सामग्री तथा ऑनलाइन पंजीकृत सामग्रियों का उचित प्रकिया के अधीन प्रवेश / निकास। इस गेट से ही गेट पास की अनुमति दी जाएगी। ठेके के बसों का प्रवेश / निकास प्रतः 8.00 बजे से प्रतः 10.00 बजे तक</p>	<p>1. पैदल आवागमन पूर्णतः निषिद्ध</p> <p>2. सीमाशुल्क संबंधी सामग्री अर्थात् निर्यात, आयात, शुल्क संदत्त रही सामग्री तथा ऑनलाइन पंजीकृत सामग्रियों का उचित प्रकिया के अधीन प्रवेश / निकास। इस गेट से ही गेट पास की अनुमति दी जाएगी। ठेके के बसों का प्रवेश / निकास प्रतः 8.00 बजे से प्रतः 10.00 बजे तक</p>
<p>गेट नं. 3</p>	<p>प्रतः 7.00 बजे से प्रतः 11.00 बजे तक (रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश अर्थात् गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) तथा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को बंद)</p>	<p>1. पैदल आवागमन पूर्णतः निषिद्ध</p> <p>2. सीमाशुल्क संबंधी सामग्री अर्थात् निर्यात, आयात, शुल्क संदत्त रही सामग्री तथा ऑनलाइन पंजीकृत सामग्रियों का उचित प्रकिया के अधीन प्रवेश / निकास। इस गेट से ही गेट पास की अनुमति दी जाएगी। ठेके के बसों का प्रवेश / निकास प्रतः 8.00 बजे से प्रतः 10.00 बजे तक</p>	<p>1. पैदल आवागमन पूर्णतः निषिद्ध</p> <p>2. सीमाशुल्क संबंधी सामग्री अर्थात् निर्यात, आयात, शुल्क संदत्त रही सामग्री तथा ऑनलाइन पंजीकृत सामग्रियों का उचित प्रकिया के अधीन प्रवेश / निकास। इस गेट से ही गेट पास की अनुमति दी जाएगी। ठेके के बसों का प्रवेश / निकास प्रतः 8.00 बजे से प्रतः 10.00 बजे तक</p>

  
 ( पी.एस.रामन )  
 संयुक्त विकास आयुक्त  
 सीप्ले-सेज

- प्रति:-
1. सीप्ले सेज के सभी यूनिट
  2. सीप्ले सेज के सभी बैंक
  3. चेयरमैन, सीमा, सीप्ले-सेज
  4. प्रेसिडेंट - जेम्स तथा ज्वेलरी एसोसिएशन बीएफसी बिल्डिंग, सीप्ले -सेज
  5. क्षेत्रीय निदेशक, इपीसीइएस 100% इओयू तथा सेज, बीएफसी बिल्डिंग, सीप्ले -सेज
  6. सीप्ले ++ ब्लॉक I प्रिमाइसेस सोसायटी सीप्ले सेज
  7. सीप्ले ++ ब्लॉक II प्रिमाइसेस सोसायटी सीप्ले सेज
  8. सीमा शुल्क अनुभाग
  9. सुरक्षा अनुभाग
  10. विकास आयुक्त कार्यालय
  11. सूचना - पट्ट